<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> Press Release

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को उत्तर भारत में बाढ़ से उत्पन्न दावों को फास्ट ट्रैक पर निपटाने की परामर्श टी

IRDAI advised Insurance Companies to settle claims arising out of floods in North India on Fast Track

उत्तर भारत में बाढ़ (जुलाई 2023) से विभिन्न राज्यों में संपत्ति (घरों और व्यवसायों) और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान होने की आशंका है। इस क्षेत्र के विनियामक आईआरडीएआई ने सभी साधारण बीमा कंपनियों और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बाढ़ से उत्पन्न दावों के त्वरित निपटान के लिए जांचकर्ताओं, सर्वेक्षकों और नुकसान समायोजकों की सेवाओं सहित तत्काल सेवा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाएं।

बीमा कंपनियों को परामर्श दी गई है कि वे प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विरष्ठ कार्यकारी के नामांकन की सूचना राज्य के मुख्य सचिव/संबंधित अधिकारी को तत्काल दें। बड़ी संख्या में दावों की रिपोर्ट करने वाले जिलों का पर्यवेक्षण नामित जिला दावा सेवा प्रमुख द्वारा की जाए। बीमाकर्ताओं को इन अधिकारियों के संपर्क विवरण का अपनी वेबसाइटों और मीडिया में व्यापक प्रचार करना होगा।

बीमा कंपनियों को परामर्श दी जाती है कि वे अपनी 24x7 हेल्पलाइनों, जिला स्तर पर विशेष दावा डेस्क, प्रत्यायोजित दावा निपटान टीमों के माध्यम से दावाकर्ताओं को जवाब /सहायता प्रदान करें तािक दावों के त्विरित प्रसंस्करण और निपटान सिहत जल्द से जल्द खाता भुगतान किया जा सके और पॉलिसीधारकों को पत्राचार के लिए जहां भी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

Floods in North India (July 2023) are expected to cause widespread loss to property (homes and businesses) and infrastructure in various States. The Sector regulator IRDAI issued instructions to all General Insurers and Standalone Health Insurance Companies to mobilise all resources to ensure immediate service response including engaging the services of investigators, surveyors and loss adjustors for quick settlement of claims arising out of the havoc created by the floods.

The insurers have been advised to communicate the nomination of a Senior Executive in each affected State / UT to the Chief Secretary/ Officer concerned of the State immediately. Districts reporting large numbers of claims to oversee by a designated District Claims Service Head. The insurers to give wide publicity on the contact details of these officers in their websites and also in the media.

Insurers are advised to respond/assist the claimants through their 24x7 helplines, special claims desks at district level with delegated claims settlement teams for speedy processing and settlement of claims including on account payments at the earliest and also encourage policyholders to use electronic communication wherever possible for correspondence.